न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2026/61

01. भगवानी पुत्री नत्थुराम पत्नी हीराराम जाति खटीक साकिन खटिक मोहल्ला माताजी मंदिर के पास रतनगढ़ हाल खिंची बंगला वार्ड नं. 32 फतेहपुर सीकर।
02. शांति देवी पुत्री शिवकरण पत्नी मनीराम जाति खटीक साकिन वार्ड नं. 11 प्रकाश पाठशाला के पास रतनगढ़ चुरू हाल पुरानी आबादी उदाराम चौक के पास वार्ड नं. 08 श्रीगंगानगर।
03. दुलीचंद पुत्र शिवकरण जाति खटीक साकिन वार्ड नं. 11 प्रकाश पाठशाला के पास रतनगढ़ चुरू हाल पुरानी आबादी उदाराम चौक के पास वार्ड नं. 08 श्रीगंगानगर।

.....

वादीगण

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला।

....

प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट, धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–22.05.26**

यह वादपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र/प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादीगण के पिता/दादा के नाम चक 5 केवाईडी ए के मु.नं. 197/7 के कि.नं. 1 ता 25 तादादी 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का भूमिहीन आंवटन होकर रिकार्ड में खातेदार दर्ज कागजात रही है। पिता/दादा के देहान्त के बाद विरास्तन दर्ज हुआ जो आज दिनांक कुल 1 ता 48 सदस्यों के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है। विरास्तन काबिज काश्त है तथा ढाणी व मकान बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहे है। मौके पर सरसों व गेहूं की खेती पकाव पर है। वादी संख्या 1 का नाम रिकार्डली भगवानी दर्ज कागजात है जिसमें आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट सब में दर्ज रहा और जब विरास्तन दर्ज हुआ तो बोलचाल का नाम भागा पुत्री नत्थूराम दर्ज हो गया जबकि ससुराल पक्ष में भगवानी दर्ज रहा है इसी प्रकार वादी संख्या 2 का रिकार्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, खाता पास बुक, जन आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि में नाम शांती देवी रहा लेकिन घरेलू नाम झिमा बोलचाल का नाम था और उसी अनुरूप विरास्तन इन्तकाल दर्ज हो गया जबकि झिमा एवं शांति एक ही महिला के नाम है तथा इसी प्रकार वादी सं. 3 दूलीचन्द जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, वोटर आइडी, मूल निवास, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दुलीचन्द है लेकिन परिवार में छोटे होने के कारण मुन्ना के नाम से पुकारते है उसी अनुरूप विरास्तन नामान्तकरण मुन्नालाल परिवार ने लिखा दिया और रिकार्ड में दुलीचन्द की बजाय मुन्नालाल दर्ज रिकार्ड में हो गया जबकि वादी संख्या 3 का नाम दुलीचंद है उसके बाबत् नगरपालिका रतनगढ़ एवं राजकीय प्रधानाध्यापक हुडेरा आथूणा व वरिष्ठ पशु चिकित्सक श्रीगंगानगर नगर परिषद के पार्षद आदि के बकायदा प्रमाणित कर दिया है । वादीगण उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जरिये घोषणात्मक दूरूस्ति अपने नाम जहां झीमा पुत्री शिवकरण है, वहां शांति देवी पत्नी शिवकरण तथा भागा पुत्री नत्थूराम है, वहां भगवानी पुत्री नत्थूराम और जहां मुन्नालाल पुत्र शिवकरण दर्ज है कि जगह दूलीचन्द पुत्र शिवकरण दुरूस्त करवाने के विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि

पर वादीगण काबिज काश्त है एवं समय–समय पर लगान एवं राजस्व अदा करते रहे है। राजस्व रिकार्ड में नाम झिमा पुत्री शिवकरण, भागा पुत्री नत्थूराम और मुन्नालाल पुत्र शिवकरण दर्ज होने से काफी परेशानिया हो गई हैं, भविष्य में और दिक्कते ना आये इसलिए न्यायहित में रिकार्ड में नाम दुरस्ति आवश्यक है। इस त्रुटी को जानकारी में आते ही तहसीलदार खाजूवाला के यहां शुद्धी करने हेतु आवेदन किया और काफी अरसे बाद दिनांक 04.03.26 को कहा कि आप न्यायालय से आदेश लावें तो ही शुद्धी होगी इसलिए वादीगण न्यायालय हाजा में हाजिर आये है। दिनांक 04.03.2026 को प्रतिवादी से इन्कारी मिली है और यही घटना से वादीगण को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। मामला आवश्यक प्रकृति का है। जिसमें स्टेट को केवल लेण्ड रिकॉर्डधारी होने के नाते पक्षकार बनाया गया है जिससे कोई विशेष रिलिफ नहीं चाही है। इसलिए वादी दो माह के नोटिस की छुट के साथ वाद पेश करने की अनुमति चाहते है। इस आश्य की घोषणात्मक दुरस्ति की जावे की वादीगण की पुश्तैनी भूमि चक 5 के वाई डी के मु.नं. 197/7 के कि.नं. 1 ता 25 तादादी 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि के रिकार्ड में वादीगण का नाम झीमा पुत्री शिवकरण है वहां शांति देवी पुत्री शिवकरण तथा भागा पुत्री नत्थूराम है वहां भगवानी पुत्री नत्थूराम और जहां मुन्नालाल पुत्र शिवकरण दर्ज है कि जगह दूलीचन्द पुत्र शिवकरण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश फरमावें। अन्य जो भी दादरसी न्यायालय उचित समझे, वादीगण के पक्ष में प्रदान की जावे का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण ने वादपत्र साबित करने के पक्ष में जमाबन्दी, पार्षद वार्ड नं. 10 नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़, पार्षद वार्ड नं. 12 नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के प्रमाणपत्र, प्रधानाचार्य रा.उ.प्र.वि. हुडेरा आथुणा प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मुल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक डायरी, पैन कार्ड (दुलीचन्द), प्रधानाचार्य रा.उ.प्र.वि. हनुमानपुरा सुलखनियां (रतनगढ़) चूरू, पार्षद वार्ड नं. 44 नगरपालिका फतेहपुर (सीकर), प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. हूडेरा आथुणा, पार्षद वार्ड नं. 10 नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़, इत्यादि का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड (भगवानी), प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. हूडेरा आथुणा, पार्षद वार्ड नं. 10 नगरपालिका मण्डल, रतनगढ़, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कार्या. बहु उद्येशीय पशु चिकित्सालय, श्रीगंगानगर, पार्षद वार्ड नं. 12 नगर परिषद्, श्रीगंगानगर के प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, बैंक डायरी, राशन कार्ड, आधार कार्ड (शांतिदेवी) प्रस्तुत किये है। पत्रावली पर सुना गया। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादीगण का वादपत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं चक 5 के.वाई.डी. ए के मु.नं. 197/7 के कि.नं. 1 ता 25 तादादी 6.3225 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि में 1/48 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम भागा के स्थान पर भगवानी, झिमा के स्थान पर शांति देवी, मुन्नालाल के स्थान पर दूलीचन्द संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण का नाम भागा, झिमा, मुन्नालाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादीगण का नाम भागा, झिमा, मुन्नालाल

के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम भागा, झिमा, मुन्नालाल के ही लागू होगा। अगर उक्त संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार पालना/अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)